

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी:- श्री रामकिशोर (उच्चतर न्यायिक सेवा)

भरण-पोषण वाद संख्या-358/2017

1- सुहाना उम्र 25 वर्ष पत्नी अकरम पुत्री युनुस अली, निवासी-वार्ड नं023 आजाद नगर पुखरायाँ, पोस्ट-पुखरायाँ, थाना-भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात।

2- आहिल नाबालिग उम्र-2- 1/2 वर्ष संरक्षिका माँ हकीकी सुहाना।प्रार्थीगण।

बनाम

अकरम, उम्र -28 वर्ष, पुत्र कल्लू खाँ, निवासी-म 0 नं० -ए 0339 नवजीवन कैम्प

गोविन्दपुरी कालका जी नई दिल्ली।

.....विपक्षी।

अन्तर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता।

थाना-भोगनीपुर, कानपुर देहात।

निर्णय

प्रस्तुत वाद, वादिनी के द्वारा विपक्षी के प्रति अन्तर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत, स्वयं तथा अपने पुत्र के भरण-पोषण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वाद का तथ्य यह है कि प्रार्थिनी की शादी हस्तरीत मुस्लिम विरादरी विपक्षी के साथ दिनांक 09.10.2010 को सम्पन्न हुआ थी। प्रार्थिनी के माता-पिता द्वारा यथासम्भव दान-दहेज विपक्षी को दिया गया था, बिदा होकर अपनी ससुराल गयी और पत्नी धर्म का पालन किया। वादिनी का पति वादिनी से नाखुश रहता था और बात-बात में ताने मारता था तथा उस पर दबाव बनाता था कि अपने मायके से पिता से एक लाख रुपये दहेज में और दिलाओ, मना करने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। वादिनी भारतीय नारी होने के नाते सब सहती रही तथा पति के साथ 5 वर्ष तक निवास करती रही। इसी बीच वादिनी व विपक्षी के संसर्ग से एक पुत्र आहिल पैदा हुआ। वादिनी के पति ने समस्त जेवरात, कपड़ा छीनकर, छोटे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया, तब से वह अपने मायके में निवास कर रही है। वादिनी कुछ नहीं कमाती है

तथा वर्तमान समय में वह भुखमरी का जीवन यापन कर रही है और वह अपना तथा अपने छोटे बच्चे की गुजर -बसर करने में सक्षम नहीं है।

विपक्षी दिल्ली में प्राइवेट कम्पनी में काम करके बीस हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है तथा वह वादिनी तथा उसके बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम है। अतः ऐसीस्थिति में वादिनी के द्वारा स्वयं के लिए पाँच हजार रुपये एवं अपने पुत्र के लिए पाँच हजार रुपये भरण-पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र, शपथपत्र से समर्थित है।

विपक्षी की तरफ से आपत्ति 5 ख प्रस्तुत कर, वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की धारा-1 के कथन स्वीकार करते हुए, शेष कथनों से इंकार करते हुए कथन किया गया है कि वादिनी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी वह खुशी-खुशी अपने साथ ले गया था और तब से वादिनी ने विपक्षी के साथ आने से मना कर दिया। वादिनी व्यूटी पार्लर का काम करती है और वह विपक्षी से अधिक कमाती है तथा वह अपना जीवन यापन करने में पूर्णतया सक्षम है। वादिनी फैशन परस्त महिला है। जब कि विपक्षी पेट की बीमारी से पीड़ित रहता है और मजदूरी करता है उसे कभी-कभी काम मिल पाता है, बमुश्किल से जीवन यापन व इलाज खर्च निकाल पाता है। वादिनी को वह कई बार लेने गया किन्तु वादिनी ने उसके साथ रहने से मना कर दिया। विपक्षी वादिनी व अपने बच्चे से प्रेम करता है और साथ रखने को तैयार है। वादिनी दिल्ली में रहने को तैयार नहीं है और कहती है कि यहाँ दम घुटता है। अतः वाद निरस्त करने की याचना की गयी है। आपत्ति, शपथपत्र से समर्थित है।

वादिनी के द्वारा शपथपत्र के अनुलग्नक के रूप में अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद पुरखरायाँ द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र व निकाहनामा की छाया प्रति दाखिल की गयी।

प्रतिवादी की तरफ से पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है।

वादिनी की तरफ से स्वयं को पी०डब्लू-1 के रूप में तथा प्रतिवादी की तरफ से स्वयं को डी०डब्लू-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का सम्यक् अनुशीलन किया।

पी०डब्लू- 1 के रूप में वादिनी ने सशपथ कथन किया है कि उसका निकाह दिनांक 09.10.10 को अकरम के साथ हुआ था। बिदा होकर वह अपनी ससुराल गयी और पत्नी धर्म का पालन किया। हम दोनों के संसर्ग से एक पुत्र आहिल जिसकी उम्र-4 वर्ष है, पैदा हुआ था। शादी के तीन साल बाद हम लोगो के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गये और वाद-विवाद होने लगा तथा वह अपने मायके पुत्र को लेकर आज से लगभग चार साल पहले चली गयी, तब से बराबर वहीं पर रह रही है। उसने अपने पति के विरुद्ध गुजारा भत्ता का मुकदमा दाखिल किया था। काफी प्रयास किया गया लेकिन एक साथ रहना सम्भव नहीं है। उसके पति ने बतौर गुजारा भत्ता उसके लिए एक लाख रूपया व उसके पुत्र के लिए एक लाख रूपया जरिये चेक संख्या-253691 कारपोरेशन बैंक शाखा कालका जी दिल्ली प्राप्त करा दिया है। भविष्य में कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है और उसका कोई विवाद नहीं है। उसका मुकदमा समाप्त कर दिया जाये।

डी०डब्लू- 1 के रूप में विपक्षी ने सशपथ कथन किया है कि उसका निकाह सुहाना के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 09.10.10 को हुआ था। हम दोनों के संसर्ग से एक पुत्र पैदा हुआ। शादी के तीन साल बाद हम लोगो के आपस में मनमुटाव के कारण वाद -विवाद होने लगा और वह पुत्र को लेकर अपने मायके चली गयी। उसने बतौर गुजारा भत्ता मुझसे अपने पुत्र के लिए एक लाख रूपया व अपने लिए एक लाख रूपया जरिये चेक संख्या-253691 प्राप्त कर लिया है। वह लगभग चार साल से अपने मायके में रह रही है। भविष्य में एक दूसरे से कोई लेना-देना नहीं रहेगा।

अन्तर्गत धारा-125(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते वक्त न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों का निर्धारण करना होता है।

- 1- परिवादिनी एवं विपक्षी के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध की प्रास्थिति।
- 2- क्या विपक्षी के द्वारा परिवादिनी का परित्याग ,बिना किसी कारण के किया गया है।
- 3- क्या परिवादिनी स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है।

4- यह कि परिवादिनी बिना किसी कारण के पति के साथ रहने से इंकार नहीं कर रही है अथवा सहमति से अलग नहीं रह रही है।

धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लागू होने के लिए आवश्यक है कि वादिनी एवं प्रतिवादी के मध्य विधिपूर्ण विवाह सम्पन्न हुआ हो तथा यह कि वादी सं० 2 की उत्पत्ति वादिनी एवं विपक्षी के संसर्ग से हुयी हो। वादिनी के द्वारा अपने वादपत्र के प्रस्तर -1 में ही कथन किया गया है कि वह विपक्षी की विवाहिता पत्नी है। प्रस्तर -6 में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी एवं विपक्षी के संयोग से वादी सं० 2 की उत्पत्ति हुयी। विपक्षी के द्वारा दाखिल आपत्ति में शादी के तथ्य एवं वादी सं० 2 आहिल के पैदा होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से धारा-58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में यह तथ्य स्वयं सिद्ध है कि वादिनी एवं विपक्षी विवाहित पति-पत्नी है तथा वादी सं० 2 आहिल, वादिनी एवं विपक्षी के संयोग से उत्पन्न सन्तान है।

न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वादिनी एवं बच्चे स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और विपक्षी अपनी पत्नी एवं बच्चों का भरण-पोषण करने हेतु पर्याप्त क्षमता रखता है। मुस्लिम विधि के अनुसार पति का यह विधिक, नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करे।

वादिनी ने कथन किया है कि अतिरिक्त दहेज के रूप में विपक्षी अपने पिता से एक लाख रूपया दिलवाने हेतु दबाव बनाता था, मना करने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। विपक्षी ने उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर मार-पीटकर घर से निकाल दिया, तब से विपक्षी ने उसका अनायास परित्याग कर दिया है और उसके भरण पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है। अतः इस प्रकार से विपक्षी से वादिनी के अलग रहने का पर्याप्त कारण साक्ष्य से साबित किया गया है।

Pankaj Sharma v. Janvi ,2012 (1)MLJ (P&H)113

में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया है कि अगर पति पर्याप्त क्षमता रखता हो, वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के भरण-पोषण के लिए बाध्य है, भले ही वह स्वयं धन अर्जन क्यों न कर रही हो।

पक्षकारों द्वारा अपने-अपने बयानों में कहा गया है कि उनका निकाह दिनांक 09.10.10 को हुआ था किन्तु निकाह के कुछ दिन पश्चात विचारों में मतभेद हो गया और वाद-विवाद होने लगा तथा आपस में मनमुटाव होने के कारण एक दूसरे के प्रति मुकदमें भी दाखिल किये गये। पक्षकारों ने यह भी कथन किया है कि उनके मध्य अब कोई लेना देना नहीं है। वादिनी ने अब मुकदमा न लड़ने तथा विवाद न होने का कथन करते हुए, मुकदमा समाप्त करने का कथन किया है। विपक्षी ने कथन किया है कि उसने अपनी पत्नी तथा बच्चे के भरण पोषण हेतु वादिनी को एक- एक लाख रुपये जरिये चेक प्राप्त करा दिया है।

अतः इस प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि वादिनी एवं विपक्षी के मध्य विचार नहीं मिले थे, मनमुटाव एवं विवाद होने के कारण वादिनी अपने घर चली गयी थी। अतः इस प्रकार से वादिनी यह तथ्य साबित करने में विफल रही है कि उसका विपक्षी ने परित्याग कर रखा है बल्कि तथ्य एवं साक्ष्यों से यह अधिसम्भाव्य रूप से यह साबित होता है कि मनमुटाव व वैचारिक मतभेद होने के कारण वादिनी, विपक्षी से अलग रह रही है।

वादिनी के द्वारा विपक्षी को पर्याप्त क्षमता का व्यक्ति बताते हुए दस हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की माँग की गयी है, जबकि विपक्षी ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि वह पेट की बीमारी से पीड़ित रहता है और बमुश्किल मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में, वादिनी कमाती हो या न कमाती हो, यह मायने नहीं रखता है। पति का यह विधिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी जिसे की बिना किसी उचित कारण के उसने परित्याग कर रखा है अथवा पत्नी युक्तियुक्त कारणों से पति से अलग रह रही है, तो पति का विधिक, नैतिक, सामाजिक कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का सामाजिक सन्दर्भ को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त रूप से भरण पोषण करे।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी पी०डब्लू- 1 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि विपक्षी ने उसे एकमुश्त एक लाख रुपये एवं वादी सं० 2 अपने पुत्र आहिल के वयस्क होने तक के लिए एक लाख रुपये भरण-पोषण के रूप में जरिये चेक प्रदत्त करा दिये हैं और वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है। वादिनी के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया

गया है उसमें अलग रहने का कारण, आपसी मनमुटाव को बताया गया है। न्यायालय की राय में मनमुटाव पति-पत्नी के अलग रहने का औचित्यपूर्ण कारण नहीं माना जा सकता है।

उभयपक्ष द्वारा, अपने द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्यों में यह कथन किया है कि वादिनी एवं उसके पुत्र को एकमुश्त भरण-पोषण धनराशि एक-एक लाख रुपये अदा कर दी गयी है। वादिनी के द्वारा अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार भी किया गया है। धारा-125(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जहाँ वादिनी के द्वारा एकमुश्त भरण पोषण धनराशि प्राप्त कर लिया गया है, वहाँ पर उसे प्रतिमाह भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादीगण के द्वारा भरण-पोषण के रूप में विपक्षी से एकमुश्त एक-एक लाख रुपये प्राप्त कर लिया गया है। अतः धारा-125(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वादीगण को प्रतिमाह भरण-पोषण दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद, विपक्षी से, वास्ते दिलाये जाने भरण पोषण खारिज किया जाता है।

दिनांक 06.07.2019

(रामकिशोर)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, कानपुर देहात।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 06.07.2019

(रामकिशोर)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, कानपुर देहात।